एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 04 (जुलाई-अगस्त, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

जैविक कुक्कुट पालन

(*केशराम मीना)
राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- उदयपुर (राजस्थान)
*संवादी लेखक का ईमेल पता: sattawankeshram@gmail.com

जैविक खेती को एक एकीकृत कृषि दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से टिकाऊ कृषि उत्पादन प्रणाली बनाना है। जैविक खेती का एक प्रमुख उद्देश्य पशुधन और मानव पोषण के लिए स्वीकार्य स्तर की फसलों का उत्पादन करना है, साथ ही उन्हें कीटों और बीमारियों से बचाना है ताकि मानव और अन्य संसाधनों को इष्टतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। मनुष्यों के बीच स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने पारंपरिक रूप से उत्पादित भोजन से लेकर जैविक रूप से उगाए गए भोजन की ओर मानवीय प्राथमिकताओं में बदलाव में योगदान दिया है। जैविक दूध, मांस और अंडे उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग और दूध, मांस और अंडा उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता के कारण जैविक पशुधन खेती दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विभिन्न कीटनाशकों, कीटनाशकों, रसायनों, दवाओं और हार्मोन अवशेषों की उपस्थिति के कारण, जीवनशैली से संबंधित समस्याएं या मधुमेह और कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। गहन और यंत्रीकृत कृषि के कारण विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में कैंसर की दर बहुत अधिक है। जैविक मांस की बढ़ती मांग ने देशों को जैविक पोल्ट्री उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारतीय किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले स्वदेशी तकनीकी ज्ञान और प्रथाओं के कारण जैविक पशुधन खेती हमारी भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन जैविक पोल्ट्री उत्पादन अभी भी पीछे है। भारत में पोल्ट्री की आबादी बहुत बड़ी है और वर्तमान पारंपरिक पोल्ट्री खेती से जैविक पोल्ट्री खेती में एक छोटा सा बदलाव घरेलू उपयोग के साथ–साथ निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार तैयार कर सकता है। जैविक खेती में उत्पाद उत्पादन और रख–रखाव के निर्धारित मानक का पालन करते हैं। ऑर्गेनिक पोल्ट्री मूल रूप से बाहरी पहुंच, जैविक फ़ीड और प्राकृतिक उपचार के साथ बिना पिंजरों के पक्षियों का पालन है।

जैविक मुर्गी पालन के लिए बुनियादी आवश्यकताए

भारत में जैविक मुर्गीपालन

1. प्रजनन: कोई भी स्थानीय और स्वदेशी नस्लों का चयन किए बिना जैविक खेती नहीं कर सकता क्योंकि आनुवंशिक रूप से इंजीनियर नस्लों द्वारा उत्पादित अंडे या मांस को जैविक नहीं माना जाता है। प्राकृतिक प्रजनन तकनीकों का पालन करना चाहिए। पक्षियों को उन उत्पादन इकाइयों से खरीदा जाना चाहिए जो जैविक मानकों का पालन करते हैं या उन खेतों से खरीदे जाने चाहिए जहां माता–पिता जैविक परिस्थितियों में पाले जाते हैं। सामान्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण की अनुमति है, हालांकि टीकों को आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। गैर जैविक पोल्ट्री को केवल कुछ शर्तों के तहत मान्यता प्राप्त निकाय से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पेश किया जा सकता है जैसे पहली बार जैविक पोल्ट्री फार्म का संचालन करना, एक विशेष नस्ल पेश करना, फार्म में झुंड का नवीनीकरण आदि।

2. आवास: जैविक आवास और प्रबंधन मानकों का मुख्य उद्देश्य पोल्ट्री पक्षियों को अपने सभी प्राकृतिक व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करने और न्यूनतम तनाव का अनुभव करने की अनुमति देना है। पोल्ट्री पक्षियों को जीवन की अवस्था, जलवायु और पर्यावरण के अनुसार, बाहर, व्यायाम क्षेत्रों, छाया और सीधी धूप

तक पहुंच होनी चाहिए। पोल्ट्री पक्षियों के लिए प्राकृतिक रखरखाव, आरामदायक व्यवहार और व्यायाम करने का अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्वच्छ, सूखा बिस्तर और आश्रय होना चाहिए। पक्षियों को शिकारियों से बचाना आवास की प्रमुख चिंताओं में से एक है क्योंकि जैविक पोल्ट्री उत्पादन में पक्षियों को पिंजरे में रखने की अनुमति नहीं है। पक्षियों को गहरे कूड़े की व्यवस्था के तहत पाला जाना चाहिए। प्रमाणन एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार पोल्ट्री फार्मों में कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है। जैविक मांस क्षेत्र में पक्षियों को आमतौर पर 81 दिनों की आयु तक पाला जाना चाहिए।

3. रूपांतरण अवधि: जैविक मुर्गी पालन की स्थापना के लिए एक विशिष्ट अवधि की आवश्यकता होती है जिसे रूपांतरण अवधि कहा जाता है। यह अवधि फार्म पर जैविक प्रबंधन की शुरुआत और पशुधन फार्म और उसके उत्पाद की प्रामाणिकता के प्रमाणीकरण के बीच लगने वाला समय है। रूपांतरण अवधि पहले निरीक्षण के दिन से शुरू होती है। भूमि और मुर्गीपालन दोनों का एक साथ रूपांतरण होना चाहिए। यदि भूमि और मुर्गीपालन एक साथ नहीं होता है, तो मुर्गीपालन को निश्चित अवधि के लिए पाला जाना चाहिए (मांस मुर्गीपालन के लिए न्यूनतम समय अंडे सेने के दूसरे दिन से है और अंडे के लिए छह सप्ताह है) जैसा कि उत्पादों से पहले जैविक बोर्ड द्वारा परिभाषित किया गया है। जैविक के रूप में बेचा जाए।

4. आहार: पक्षियों को अच्छी गुणवत्ता का जैविक रूप से उगाया गया चारा खिलाना चाहिए। 20% से अधिक चारा गैर–जैविक स्रोतों से नहीं आना चाहिए। विटामिन और खनिज अनुपूरकों को छोड़कर, सभी सामग्रियों को जैविक के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। आहार ऐसे रूप में पेश किया जाना चाहिए जिसमें पक्षी प्राकृतिक आहार व्यवहार और पाचन आवश्यकताओं को प्रदर्शित कर सकें। जैविक रूप से उत्पादित सांद्रित संतुलित आहार राशन दिया जाना चाहिए। मटर, बीन्स और रेपसीड जैसे घरेलू प्रोटीन स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। मटर को मांस पक्षियों के लिए 250–300 ग्राम/किग्रा और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 150–200 ग्राम/किग्रा की दर से शामिल किया जा सकता है। अंकुरित दालें विटामिन का अच्छा स्रोत हैं इसलिए इन्हें सिंथेटिक अमीनो एसिड की जगह लेने के लिए प्राथमिकता से इस्तेमाल किया जा सकता है। आहार में शामिल ट्रेस खनिज अधिमानतः जैविक प्रकृति के होने चाहिए। आवश्यक अमीनो एसिड का कोटा ऑर्गेनिक सोयाबीन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, आलू प्रोटीन, मक्का ग्लूटेन आदि खिलाकर पूरा किया जा सकता है। अधिक भोजन से बचना चाहिए। अपशिष्टों से मुक्त मानक गुणवत्ता वाले पीने के पानी की निरंतर पहुंच और पर्याप्त आपूर्ति दी जानी चाहिए। नियमित जल परीक्षण का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले चारे में पशु उत्पाद या विकास को बढ़ावा देने वाला कोई हार्मोन, यूरिया या खाद, चारा या चारा नहीं होना चाहिए जिसमें आयनोफोरस सहित कोई भी एंटीबायोटिक मिलाया गया हो और खाद्य एवं औषधि प्रशासन का उल्लंघन करने वाला कोई भी चारा, योजक या पूरक नहीं होना चाहिए।

5. रिकॉर्ड रखना: निरीक्षण के दौरान प्रमाणित निकाय को उपलब्ध कराने के लिए जैविक मुर्गी पालन में रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भविष्य के संदर्भों के लिए समय–समय पर सभी गतिविधियों, टिप्पणियों और निष्कर्षों का एक व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण करने की सलाह दी जाती है। बनाए गए रिकॉर्ड के प्रकार निम्नलिखित हैंरू

- पैतृक उत्पत्ति और स्रोत प्रजनन रिकॉर्ड
- जानवरों की खरीद का स्रोत बताने वाले रजिस्टर
- जैविक फ़ीड सामग्री का स्रोत
- फ़ीड अनुपूरक और फ़ीड योजक खरीदे गए
- जैविक फ़ीड निर्माण रिकॉर्ड
- जैविक पोल्ट्री चारागाह रिकॉर्ड
- स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों, स्वच्छता उत्पादों की सूची
- जैविक अंडे की परतों, जैविक मांस मुर्गीपालन, जैविक मुर्गीपालन वध/बिक्री का मासिक झुंड रिकॉर्ड
- अन्य प्रबंधन रिकॉर्ड और प्रयुक्त सामग्री।

6. स्वास्थ्य प्रबंधन: जैविक पोल्ट्री में इलाज से बेहतर रोकथाम है। इसलिए जब सभी प्रबंधन प्रथाओं को पक्षियों की भलाई के लिए निर्देशित किया जाता है तो वे बीमारियों के खिलाफ अधिकतम प्रतिरोध हासिल करेंगे और कई संक्रमणों पर काबू पा सकेंगे। जैविक पोल्ट्री उत्पादकों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाएँ स्थापित करनी चाहिए जिनमें शामिल हैंरू

• ऐसी नस्लों का चयन करके जो साइट विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों और प्रचलित बीमारियों और परजीवियों के प्रति प्रतिरोधी हों।

• उपयुक्त आवास और चारागाह स्थितियों की स्थापना।

• बीमारियों और परजीवियों की घटना और प्रसार को कम करने के लिए उचित स्वच्छता और कीटाणुशोधन प्रथाएं।

• पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चारा राशन उपलब्ध कराना।

एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से बचना चाहिए; हालाँकि टीकाकरण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब बीमारियों की समस्या होने की आशंका हो। पोल्ट्री में उपयोग किए जाने वाले सभी टीकाकरणों के लिए जैविक परिषद से पूर्व अनुमति होनी चाहिए। रोगों के उपचार के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी वैकल्पिक चिकित्सा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और पौधों के अर्क का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पोल्ट्री पक्षियों की वृद्धि और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए जैविक पोल्ट्री खेती में किया जा सकता है। हार्मोनल उपचार जो प्रकृति में चिकित्सीय हैं, पर्यवेक्षण के तहत किए जा सकते हैं लेकिन विकास उत्तेजक सख्ती से प्रतिबंधित हैं।

7. अपशिष्ट प्रबंधन: खेतों से निकलने वाले कचरे का न्यूनतम मिट्टी और पानी के क्षरण के साथ उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए।

8. परिवहन: पक्षियों का परिवहन बहुत सावधानी से करना चाहिए। परिवहन के दौरान कोई तनाव, चोट, भूख, कुपोषण, भय, असुविधा, दर्द, बीमारी या पीड़ा नहीं होनी चाहिए।

भारत में जैविक मुर्गी पालन के लिए बाधाएँ

- मुर्गी पालकों में जैविक मुर्गी पालन के बारे में उचित जानकारी का अभाव।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी.
- अपर्याप्त सहायक बुनियादी ढाँचा जैसे पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी, प्रमाणन एजेंसियों की कमी, विपणन चैनल की कमी आदि।
- मुर्गीपालकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं।
- विकसित देशों द्वारा अपनाए जाने वाले स्वच्छता की स्थिति और गुणवत्ता जैसे सख्त उपाय छोटे और सीमांत भारतीय पोल्ट्री किसानों के लिए जैविक उत्पादों के निर्यात में बाधा हैं।
- जैविक उत्पादन के लिए सब्सिडी के रूप में सरकार से समर्थन का अभाव।

निष्कर्ष

पारंपरिक खेती के दुष्प्रभाव उपभोक्ताओं को जैविक खाद्य उत्पादों की ओर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विशेष रूप से पशुधन क्रांति का तात्पर्य न केवल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना है बल्कि खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा में भी सुधार करना है। भारत में जैविक पोल्ट्री उत्पादन की जबरदस्त संभावना है क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा डिफ़ॉल्ट रूप से जैविक है। युवा उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन से पोल्ट्री क्षेत्र से संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। बर्डफ्लू और कोविड–19 जैसी स्थानिक महामारी और महामारी के कारण इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। हालाँकि, एमएसपी का आश्वासन और किसानों को न्यूनतम समर्थन उन्हें जैविक मुर्गी पालन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा